महत्वपूर्ण एवं खास

जेंडर और अनुसंधान प्रशिक्षण के विशेषज्ञ के लिए 24 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। महिलाओं की सुरक्षा व हेत् एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र के जेंडर विशेषज्ञ और अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ के एक-एक पद के संविदा भर्ती के लिए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से 24.01.2025 की संध्या 5 बजे तक आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन ब्लॉक-1 द्वितीय तल नया रायपुर 492002 में आमंत्रित है। विस्तृत जानकारी वेबसाईट सीजी डब्ल्यूसीडी डॉट जीओवी डॉट इन cgwcd. gov.in पर उपलब्ध है।

कोयला चोरी करने वाले 15 ग्रामीण गिरफ्तार, मुख्य सरगना फरार

अम्बिकापुर (आरएनएस)। कोयला चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दर हैसरगुजा पुलिस ने आज सुबह अमेरा एसीसीएल खदान में कार्रवाई करते हए कोयला चोरी करने वाले 15 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी किए कोयला को भी जप्त किया है.दरअसल, अमेरा सीसीएल खदान से ग्रामीणों द्वारा रोजाना दो से तीन ट्रक कोयला चोरी किए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी. मामले में कोयला तस्करी का सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से दर है.

बकाएदारों पर सख्ती की तैयारी : बिजली का बिल भुगतान नहीं करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी अब बिजली बिल बकायादारों पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए बिजली बिल बकाया वसूलने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। कंपनी कार्रवाई से पहले उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नम्बर पर बकाया बिल जमा करने का मैसेज भेज रही है। इसके बाद भी उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं करने पर ऐसी स्थिति में कड़ी करेंगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा बिजली काटने के निर्देश- वहीं रायपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता एम. जामुलकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। बिजली बिल भगतान नहीं करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

12वीं की छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के मानिकपुर चैकी क्षेत्र में एक दिल दिमाग की झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 12वीं की एक छात्रा का अपहरण कर रायपुर में दष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक घनश्याम केवट को रायप्र से गिरफ्तार किया है और पीड़िता को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी वाहन चालक स्कल में सामान छोडऩे आता था, जहां उसकी जान-पहचान पीड़िता से हुई। इसके बाद उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और रायपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। मानिकपर चैकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी और नाबालिक दोनों को बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

गोपालराय सोनी हत्याकांड

पुराना ड्रायवर निकला हत्यारा, दो गिरफ्तार, मास्टर माइंड फरार

कोरबा । आरएनएस

सराफा कारोबारी गोपालराय सोनी हत्या काण्ड में पुराना ड्रायवर मास्टर माइंड निकला है। साथ ही उसका भाई जो वर्तमान ड्रायवर था और एक दोस्त भी मामले में संलिप्त पाए गए हैं। यह जानकारी बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला ने आज पत्रकार वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि प्रार्थी नचिकेत रॉय सोनी निवासी लालु राम कॉलोनी के यहाँ दिनांक 05.01.2025 की रात्रि अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके पिता गोपाल राय सोनी की हत्या कर घर में रखी क्रेटा कार कमांक-4455 में मृतक गोपाल राय सोनी की अटैची एवं नचिकेता राय सोनी की माँ का मोबाईल लेकर भाग



उपलब्ध अधिकारियों / कर्मचारियों तथा एफएसएल कोरबा मोबाईल युनिट डाग स्कायर्ड सहित मौके पर पहंचे। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को घटना स्थल पहंचने के निर्देश दिये जाकर घटना

कराया कि 05.01. 2025 की रात्रि लगभग 10 बजे जब वह अपने घर पहंचा तब देखा कि घर के पोर्च में खड़ी हई सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार क्रमांक 4455 गायब है, फिर वह अपने घर का स्थल सुरक्षित किया गया । मृतक के दरवाजा जिसमें बाहर से कुण्डी लगी थी, पत्र नचिकेत राय सोनी की रिपोंट पर जिसे खोलकर घर अंदर गया तो देखा र्दिनांक 05.01.2025 की रात्रि 23:40 कि उसके पिता गोपाल रॉय सोनी घायल

स्त्राव होने के कारण फर्श पर बहत सारा खन फैला हुआ था, घर का सामान अस्त-व्यस्त था आनन फानन में उन्हे चिकित्सा हेत् अस्पताल ले जा या गया जहां डाक्टरों ने जाच उपरान्त उनकी मृत्यु होना बताया गया। प्रार्थी ने यह भी बताया कि जब वह घटना उपरांत गेट खेलकर घर के अंदर

गया तब उसकी चार पहिया वाहन हुण्डई क्रेटा पोर्च पर खडी न होने पर गाडी कहा है पूछने के लिए अपने ड्राईवर आकाश पुरी गोस्वामी को फोन किया था जिस पर ड्राईवर ने फोन पर बताया कि चाबी घर मे जहा रखता था वही रखकर घर

इस स्चना पर पुलिस सहायता केन्द्र जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक बजे बिना नबंरी चौकी सीएसईबी, थाना अवस्था में लहुलुहान बेहोश फर्श पर पड़े सीएसईबी में धारा 103 (1),307,309

थे तथा शरीर से अत्यधिक रक्त (4).332 (क),333 बी.एन.एस का बिना नबंरी अपराध पंजीबद्ध किया गया जिस पर थाना सिविल लाइन रामपुर में असल अपराध क्रमांक 12/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में आरोपियों कमश:-01. आकाश गिरी गोस्वामी पिता जगदीश पुरी गोस्वामी उम्र 24 वर्ष निवासी मकान नं 107, कुआभ_। चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला

02. मोहन मिंज पिता गोपाल मिंज उम्र 23 वर्ष निवासी कुआभट्ठा चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा।

को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई गिरफ्तार ओरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में

01. सुरज गिरी गोस्वामी पिता जगदीश पुरी गोस्वामी उम्र 28 वर्ष निवासी मकान नं 107, कुआभट्ठा चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला

अब तक की विवेचना में पाया गया कि मृतक गोपाल राय सोनी के यहा ड्राईवरी काम करने वाले दोनो भाईयों क्रमश: सूरज पुरी गोस्वामी एवं आकाश पुरी गोस्वामी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मोहन मिंज के साथ मिलकर गोपाल राय सोनी के घर से अंमृता ज्वेलर्स कि चाभी चुराकर उसी की क्रेटा कार मे जाकर जेवरात् नगदी चोरी करने कि योजना बनाई गई थी, परन्तु पहचान हो जाने से गोपाल राय सोनी के साथ हुए संघर्श मे धारदार हथियार से सुरज एवं मोहन मिंज ने मिलकर हत्या कर दी।

हत्या करने की नियत से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

🗖 डीजे संचालन पैसो की बात पर हुआ था विवाद

🗖 चाकू से किया था गले मे प्राणघातक हमला

चिखली । आरएनएस

प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अशोक मंडल, प्रार्थी से वर्ष 2023 मे डीजे संचालन पैसो की बात पर वाद विवाद हआ था डीजे संचालन की पैसो का विवाद का रंजिश बना हुआ था कि दिनांक 11.01.2025 को गठुला नाला के आगे मेन रोड मे प्रार्थी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था कि लगभग 05:30 बजे आरोपी अशोक में बोरी तरफ से आया और गाली गलौज गया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग



करते हुए जान से मारने की नियत से प्रार्थी के दाहिने गले मे अपने पास रखे धारदार वस्तु से वार कर घायल कर दिया जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल मे भर्ती किया गया कि रिपोर्ट पर धारा 296,109(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुरभाष के माध्यम मंडल अपने मो.सा. सीजी 08 एक्यु 8140 से विरष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया

नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पता साजी हेत् तत्काल ग्राम बोरी रवाना किया गया पतासाजी कर विश्वस्त मुखबीर कि सूचना पर आरोपी को नीरज बाजपयी स्कूल के पीछे खेत मे

छीपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबीश देकर आरोपी अशोक मंडल पिता सकल देव मंडल उम्र 22 साल साकिन ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को नीरज बाजपयी स्कुल बोरी पीछे खेत मे घेराबंदी कर पकडा गया, कड़ाई से पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार

के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस किया और घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक अधीक्षक राहूल देव शर्मा व सीजी 08 एक्यु 8140 व एक नग चाकू को जप्त कराया आरोपी द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित लंबाई से अधिक धारदार चाक रखना पाया जिससे प्रकरण मे धारा 25 आम्रस एक्ट जोड़ी गयी। बाद आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी मारपीट, आबकारी अधिनियम का मामला दर्ज है।

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि शत्रुहन टण्डन, इब्राहिम खान, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र. आर. अरविंद साह, समारूराम सर्पा, आर0 स्नील बैरागी, मिर्जा असलम, मनोज जैन, सिन्धु सिन्हा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा

छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर जारी, बलरामपुर और अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. कहीं गुलाबी ठंड का असर दिख रहा है तो कहीं सर्द हवाओं का कहर है. प्रदेश में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है. जिससे लोगों को ठंड से हल्की राहत मिल सकती है. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री रायपुर और जगदलपुर में दर्ज किया गया. वहीं अंबिकापुर में 04.3 और बलरामपुर में 3.7डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला

है. छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में न्युनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है. वहीं प्रदेश में दो दिनों के बाद एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की बारिश की आशंका है.

राजधानी रायपुर में आज यानी 12 जनवरी को मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 28 और न्युनतम तापमान 12 के आसपास रहने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा पेंड्रारोड में 5.0 डिग्री, दुर्ग में 8.2 डिग्री, राजनांदगांव में 9.0 डिग्री, रायपुर में 10.2 डिग्री, बिलासपुर में 10.4 डिग्री, जगदलपुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज

टीवीएस एक्सल पर शराब परिवहन कर रहे दो आरोपियों से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की और दो आरोपियों—चंद्रशेखर कुलदीप (49

🗖 चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवार्ड में शराब परिवहन कर रहे दोनों आरोपी गए जेल

दिनांक 12.01.25 को चक्रधरनगर पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मिली कि दो व्यक्ति बिना नंबर की TVS एक्सल

साल) और घुराउ पटनायक (48 साल), दोनों निवासी मालीडीपा बोईरदादर—को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब (तीन जरकीन, प्रत्येक में 5 लीटर) और रायगढ़ बिना नंबर की TVS एक्सल गाड़ी बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत लगभग 4,500 रुपये

आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 34(2). निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को मुखबिर से सूचना 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया जहां से गाड़ी में प्लास्टिक जरीकेन में अवैध महुआ शराब दोनों आरोपियों का जेल वारंट जारी होने से जेल | लेकर छोटे रेगड़ा पुल के पास बिक्री के लिए खड़े हैं। दाखिल किया गया है। इस कार्रवाई में प्रधान थाना प्रभारी ने तुरंत पेट्रोलिंग टीम को कार्रवाई आरक्षक महेंद्र कर्ष, आरक्षक अभय यादव और का निर्देश दिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी चंद्र कुमार बंजारे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चार कार्यवाईयों में 5 आरोपी गिरफ्तार, 143 पाव अवैध शराब जब्त

जुटमिल पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर चार अलग-अलग कार्रवाइयों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश पाव देसी शराब के साथ पकड़ा पकड़ा गया। चौथी कार्रवाई में गणेश मरकाम और नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने यह कार्रवाई की।

पहली कार्रवाई में सावित्री नगर

मैदान के पास से महेश्वर पटेल (40) को सावित्री नगर बेंजी कुंज के पास

अवैध शराब के खिलाफ जूटमिल पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान

साल) निवासी ननसिया को 28 से 70 पाव प्लेन शराब के साथ गया। दूसरी कार्रवाई में ट्रांसपोर्ट भट्ट (39 साल) निवासी सोनूम्डा नगर अमलीडीह रोड से सुख लाल सिदार (36 साल) निवासी बरमुडा थाना कोतरारोड़ को 17 पाव शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। तीसरी

कार्रवाई में दो आरोपी राम निवास सतनामी (37 साल) जूटमिल सामने गली और उसके साथी धनी सिंह सिदार (32 साल) अमलीभौना

जूटमिल को सावित्री नगर नयापारा में हड़कंप मचा दिया है और क्षेत्र में गली के पास से 28 पाव देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

इस पूरे अभियान में कुल 143

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

पाव अवैध शराब जब्त की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस सफल अभियान में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिदार और अन्य पुलिसकर्मियों ने महत्वपुर्ण भूमिका

जूटमिल पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने अवैध शराब माफियाओं कानुन-व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

एक प्रार्थी ने थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी से निकली थी और बिना बताए कहीं चली गई।

बरामद। आरोपी के खिलाफ

को सुरक्षित परिजनों को सौंपा और आस-पास खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं नाबालिंग पुत्री कपड़े सिलाई मिलने पर प्रार्थी को संदेह हुआ कराने जाने की बात कहकर घर कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी से नाबालिंग बालिका सकुशल इंसान क्रमांक 63/2024 के

के तहत नाबालिग बालिका पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त अधिकारी ने संवेदनशीलता के पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल थाना सहसपुर लोहारा क्षेत्रांतर्गत गया।परिजनों द्वारा रिश्तेदारों एवं पंकज पटेल, और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लालमन साव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा की गई। तकनीकी साक्ष्यों, ले गया है। प्रार्थी की शिकायत नेटवर्क ट्रेसिंग और खुफिया बचेडी, थाना सहसपुर लोहारा, तहत मामला दर्ज कर जांच जिला कबीरधाम) के कब्जे से संबंधित धाराओं में विधिवत प्रारंभ की गई। मामले की नाबालिग बालिका को सकुशल कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड गंभीरता को देखते हुए पुलिस बरामद किया। थाने लाकर पर भेजा गया। ऑपरेशन मुस्कान अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (भा. नाबालिग बालिका से महिला सौंप दिया गया।

साथ पछताछ की, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे बहलाया-फसलाया और जबरदस्ती संबंध बनाए। इस खलासे के आधार पर आरोपी संदीप धुर्वे के खिलाफ धारा 87, 64(2)(ड) क्वहस, 4(1), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त धाराएं जोड़ते हुए में प्रस्तत किया गया। 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत बालिका को स्रक्षित दस्तयाब कर आवश्यक कार्यवाही के बाद परिजनों को

नाबालिंग बालिका को पर थाना सहसपुर लोहारा में जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने पुणे, महाराष्ट्र में दिबश विधिवत गिरफ्तार किया गया। बहला-फसलाकर भगा ले जाने अपराध क्रमांक 301/2024, दी और आरोपी संदीप धर्वे वाला आरोपी गिरफ्तार0 पुणे, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर धारा 137(2) भारतीय दंड महाराष्ट्र से आरोपी के कब्जे संहिता (क्वहस्) और गुम (पिता संतुराम छेदावी, निवासी माननीय न्यायालय कबीरधाम

पुंलिस की सक्रियता से हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

बीएनएसएस थाना गुढियारी में 29 दिसंबर 2024 को मर्गे क्रमांक 82/24 धारा 194 मृतक सत्यनारायण बेरवंश उर्फ सत्त् पिता चन्द्रिका प्रसाद बेरवंश उम्र 38 वर्ष पता कुकरी तालाब गुढियारी जिला रायपुर की मृत्यु की सूचना बी0आर0 अस्पताल के वार्ड व्याय गिरजा शंकर के द्वारा अस्पताली मेमों पेश कर थाना मौदहापारा में बिना नम्बरी मर्ग कायम कराया गया था जिसकी सचना मिलने पर मेकाहारा के चीरघर में पहुचकर पंचानों के समक्ष शव पंचनामा कार्यवाही

मे खरोच जैसा निशान पाया गया था पंचानों द्वारा मृतक की मृत्यु की संदेह प्रकट करने पर मृतक की मृत्यु का उचित कारण जानने बाबत शव का पी0एम0 कराया गया था । दिनांक 10/01/2025 मृतक का पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त होने से पी0एम0 रिपोर्ट का अध्यन किया गया जिसमें मृतक के सिर में फ्रेक्चर होने एवं सिर में कई जगह चोट होने और यह चोटे किसी हार्ड एवं ब्लंट आब्जेक्ट से आने तथा ये चोटे मृतक की मृत्यु के लिए पर्याप्त

में चोट जैसा निशान एवं दोनों हाथो गित रूकना लेख किये है। मर्ग सदर में मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होना पाये जाने से मृतक के निवास के आसपास लोगो से पूछताछ की गई । गवाहों ने अपने कथन बताया कि दिनांक 28/12/24 के रात्रि करीबन 07 से 08 बजे के मध्य कुकरी तालाब गुढियारी में राजू डहरिया के घर के पास रोड में गब्बू उर्फ योगेश डहरिया, और उसके दो भाई बठवा उर्फ संजय डहरिया व चुकरी उर्फ घांसी राम डहरिया तीनो एकराय होकर मृतक के साथ वाद विवाद गाली गलौज होना लेख है। पी0 एम0 कर्ता डॉक्टर कर जान से मारने की नियत से हाथ किया था पंचनामा कार्यवाही में द्वारा अपने ओपिनियन में मृतक की मुक्का एवं डण्डा से मारपीट कर हत्या

नियत से मृतक सत्तु का शव उसके घर में रखकर आ गयें थे। जो अगले दिन सुबह 11/30 बजे मृतक के पडोसी मनोज बंजारे ने मृतक के शव को देखने पर उसके बहन भावना को फोन कर बताया कि उसके भाई का शरीर अकडा हुआ घर में पड़ा है उसे कुछ हो गया है। सूचना पर भावना ने अपनी दूसरी बहन महेश्वरी कोसरिया एवं हेमलता रत्नाकर को कुकरी तालाब भेजा जिन्होने सत्यनारायण को एम्बलेश के माध्यम से मेकाहारा भेजवाया, जहां डॉक्टर साहब द्वारा सत्यनारायण को मत घोषित कर दिये, मर्ग जांच में पाया कि आरोपीगण

मृतक सत्यनारायण बेरवंश के सिर मृत्यु सिर की चोट के कारण हृदय कर दिये थे और साक्ष्य छिपाने की गब्बू उर्फ योगेश डहरिया, बठवा उर्फ संजय डहरिया एवं चुकरी उर्फ घांसी राम डहरिया ने एकराय होकर मृतक सत्यनारायण उर्फ सत्तु बेरवंश की हत्या करने की नियत से उसके साथ हाथ मुक्को एवं डण्डा से मारपीट कर उसकी हत्या की एवं हत्या का साक्ष्य छिपाने की नियत से उसका शव को रोड से उसके घर में रखकर आ गये थे कि मर्ग की सम्पूर्ण जांच में गब्बू उर्फ योगेश डहरिया, बठवा उर्फ संजय डहरिया एवं चुकरी उर्फ घांसी राम डहरिया के खिलाफ अपराध धारा 103(1),238, 3(5), भा0न्या0स0 का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

इस संघ का गठनसमूर्ण छतीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है जिसका क्रमांक ५५२६ है, तथा सम्पर्क हेतू नं० ९३०१९१५३०३ है। इस संघ के गढन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजुर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवका, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के आवश्यकता समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा। मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रवार-प्रसार करना, तथा उद्देश्य एवं

नियक्तियां

मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपवारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रवार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्घारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध

मुख्य बिन्द

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित संपर्क करें वीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्द

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र :: Address :: **Behind Stadium**

Near Career

School, Raigarh,

C.G.

Pin 496001

🔴 संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। 🗨 पुरे छवीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सब्बंच में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीडित को उसके कर्तत्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत

किया जावेगा। न्याय पाप्ति हेत हर संभव मदद की जावेगी। 🗨 संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पढ़ों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेत संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मलाकात कर पीडित को न्याय दिलाने में समस्त

 संघ द्वारा संवैद्यानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित टिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।

🔍 संघ सामाजिक करीतियों को दर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभृतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। Join SJU Join SJU Join SJU

